न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2020 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
GCMS NO : 2020/00006

अनवान

1. स्व. श्री नवलदास भील पिता नाथु भील, निवासी छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर के बजाय–
   1/1 श्री सोमराज पिता नवलदास भील, निवासी छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर
   1/2 श्रीमती शांता देवी पुत्री नवलदास भील, निवासी छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर
   1/3 श्री अमृतलाल पिता नवलदास भील, निवासी छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बसन्तिलाल उर्फ वसू भील पिता वैसात भील, निवासी छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला–उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री राजेश सिंघवी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेन्द्र सिंह चुण्ड़ावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 25-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री नवलदास भील पिता नाथु भील द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे मौजा छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर स्थित बिलानाम आराजी संख्या 292 हाल आराजी संख्या 695/292 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, 293 रकबा 0.1100हेक्टेयर, 253 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5600 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। उक्त भूमि पर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

का कब्जा चला आ रहा था एवं प्रार्थी द्वारा ही उक्त भूमि पर काश्त की जा रही हैं। विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई, न ही ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं विधिवत आवंटन आदेश पारित नहीं किया गया। कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट की पालना आवंटन के 15 दिवस मे होनी चाहिये थी, लेकिन इसकी पालना 1 वर्ष उपरान्त की गई हैं, जिसे गंभीर मानते हुए उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल ने विपक्षी संख्या 2 एवं पटवारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन नहीं होकर आर्थिक रूप से सक्षम था एवं पत्रावली संख्या 429/2002 मे भी स्वयं को भूमिहीन बताते हुए गांव छालीबोकड़ा की आराजी संख्या 595 रकबा 0.2900 हेक्टेयर का आवंटन करा लिया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को भूमि से हटाने का प्रयास करने पर प्रार्थी को कथित आवंटन के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार कथित आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह चुण्ड़ावत द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री कल्पित जैन, राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 689/90 दिनांक 21.12.1990 को आवंटित की गई आराजी संख्या 695/292, 253 एवं 343 के आवंटन को निरस्त करने हेतु लगभग 30 वर्ष उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं एवं न तो विलम्ब का समुचित कारण दर्शाया है तथा न ही मयाद कण्ड़ोन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। मयाद के बिंदु पर ही उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा न तो उक्त आवंटन धोखाधड़ी से कराया गया है एवं न ही आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो का उल्लंघन विपक्षी संख्या 1 द्वारा किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार होकर काश्त कर रहा हैं। ऐसी स्थिति मे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक आधार ही प्रार्थी के पास नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कुल रकबा 0.5600 हेक्टेयर पूर्णतया नियमानुसार हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को काश्त योग्य बनाया हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का पुराना कब्जा होने से ही आवंटन कमेटी द्वारा पूर्णतया जांच उपरान्त विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे कथित आवंटन किया हैं। वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 ही काबिज हैं। संवत् 2077 मे भी उक्त भूमि पर खरीफ की फसल मे मक्का एवं कपास की फसल पैदा की गई हैं, जो खसरा गिरदावरी से स्पष्ट हैं। विपक्षी संख्या 1 आवंटित भूमि से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथन मिथ्या अंकित किये हैं एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन को अवैध घोषित करने बाबत विधिक आधार अंकित नहीं किये हैं। विपक्षी संख्या 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग का निर्धन एवं अशिक्षित ग्रामीण हैं एवं वक्त आवंटन कोई तथ्य उसके द्वारा नहीं छुपाया गया हैं। आवंटन उपरान्त विधिक तौर पर विपक्षी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया गया हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 एक ही परिवार से सम्बद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिनुसार पोषणीय न होने से निरस्त किया जावें। प्रकरण मे जवाब विपक्षी संख्या 1 प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 689/1990 तलब की गई। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी श्री नवलदास पिता नाथू भील का स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के विधिक वारिसान के नाम रेकर्ड पर लिये जाने बाबत् अनुरोध करने पर विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से प्रार्थी के विधिक वारिसान का नाम रेकर्ड पर लिया गया। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि का उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रांरभ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुये कथित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का पुराना कब्जा होना, विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन न होना, ग्रामवासियान को सुनवाई का अवसर न मिलना, उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन उपरान्त कब्जा सुपुर्दगी 1 वर्ष उपरान्त होना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना, आवंटन के पश्चात् एक और आराजी 595 का आवंटन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को विधि विरूद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, मयाद बाहर होना, पूर्णतया विधिनुकुल तरीके से आवंटन होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना होना, विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कथित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी ट्रेसपासर है एवं ट्रेसपासर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- आर.बी.जे. 2010(17) पृष्ठ 289
- आर.आर.ड़ी 1995 पृष्ठ 64
- डी.एन.जे. 2014(3) राज. पृष्ठ 1132

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

- आर.आर.टी. 2007(2) पृष्ठ 939
- आर.आर.टी. 2007(2) पृष्ठ 788

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 689/1990 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 292 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, 343 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 253 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5600 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की जांच उपरान्त जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 389/1990 से उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, सरपंच एवं सह सदस्य के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त आवंटी को विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से कोई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। यदि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर विलम्ब से कब्जा दिया गया है, तो इसके लिए विपक्षी संख्या 1 उत्तरदायी नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही उक्त आराजीयात के धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण अथवा उनके पिता का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे अन्य आवंटन होने का उल्लेख किया है, किन्तु कोई दस्तावेज आदि सलंग्न नहीं किये है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान मे उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के स्वरूप ही प्रदान किये जाते है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। खातेदारी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी भी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना विधिसम्मत नही पाया जाता हैं। प्रार्थीगण के पिता द्वारा आवंटन के लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात उक्त प्रा.पत्र पेश किया हैं। आवंटन के 30 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब का समुचित कारण भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा नही बताया गया हैं। बिना किसी समुचित आधार के आवंटन को निरस्त करना ''ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस'' होगा। विपक्षी स. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा छालीबोकड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे स्थित बिलानाम आराजी संख्या 292 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, 343 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 253 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5600 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested